रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062022-236792
CG-DL-E-24062022-236792

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 450] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 24, 2022/ आषाढ़ 3, 1944
No. 450] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 24, 2022/ASHADHA 3, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2022

सं. 52/2022-सीमाशुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि.471(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 146 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियमन, 2018 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमन बनाता है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभन (1) इन विनियमों को सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंसिंग (संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकता है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियमन, 2018 में, -

(i) विनियम 20 में, उप-विनियमों (1) और (2) के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) प्रत्येक सीमा शुल्क ब्रोकर अपने द्वारा संचालित प्रत्येक क्षेत्रिय कार्यालय में सीमा शुल्क ब्रोकर संगठन के सदस्य के रूप में खुद को नामांकित करेगा, यदि सीमा शुल्क स्टेशन में पंजीकृत ऐसा कोई संगठन है, जहां सीमा शुल्क ब्रोकर संचालन कर रहा है और प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क या आयुक्त सीमा शुल्क, जैसा भी मामला हो द्वारा मान्यता प्राप्त है।

(2) कोई भी सीमा शुल्क ब्रोकर किसी विशेष क्षेत्रिय कार्यालय में, एक निश्चित समय में, एक से अधिक संगठन में खुद को नामांकित नहीं करेगा।";

(ii) विनियम 20 के बाद, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"21. **शिथिल करने की शक्तिः-** जहां कोई आवेदक या कोई सीमाशुल्क ब्रोकर या एनएसीआईएन बोर्ड को इस बात का अभ्यावेदन देता है कि वह या यह, जैसा भी स्थिति हो हो, ऐसे किसी कारण से जो कि उसके नियंत्रण के बाहर है, इन विनियमों में दिए गए किसी प्रावधान में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर अपने कर्तव्यों या दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है, लेकिन ऐसे प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित अन्य शर्तों, यदि कोई हो, को पूरा करता हो, तो बोर्ड, ऐसे अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, तथा उन कारणों को लिपिवद्ध करते हुए, ऐसे कर्तव्यों या दायित्वों के अनुपालन के लिए आगे और समयावधि की अनुमति दे सकता है।"

[फा.सं. 520/07/2013-सीमाशुल्क VI(खंड III)]

मनीष कुमार चौधरी, अवर सचिव

नोट:- सा.का.नि. 451(अ), दिनांक 14 मई, 2018 के तहत मूल विनियम संख्या 41/2018-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 14 मई, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किय़ा गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department OF Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2022

No. 52/2022-Customs (N.T.)

G.S.R. 471(E). —In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 146 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, hereby makes the following regulations to amend the Customs Brokers Licensing Regulations, 2018, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These regulations may be called the Customs Brokers Licensing (Amendment) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Customs Broker Licensing Regulations, 2018, -

(i) in Regulation 20, for sub-regulations (1) and (2), the following sub-regulations shall respectively be substituted, namely:-

"(1) Each Customs Broker shall enroll himself as a member of the Customs Brokers' Association at every jurisdiction he operates, if there is such an Association registered in the Customs Station, where the Customs Broker is operating and recognised by the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be.

(2) No Customs Broker shall enroll himself in more than one Association, at a given time, in a particular jurisdiction.";

(ii) after regulation 20, the following regulation shall be inserted, namely: -

"**21. Power to relax.**– Where an applicant or a Customs Broker or NACIN makes a representation to the Board that he or it, as the case may be, is unable to comply with his or its duties or obligations within the time period as specified under any provision of these regulations, for the reasons beyond his or its control, but otherwise satisfy all other conditions, if any, as provided under such provision, the Board may, after consideration of the representation, and for reasons to be recorded in writing, allow a further time period for compliance of such duties or obligations.".

[F. No. 520/07/2013-Cus.VI (Vol.III)]

MANISH KUMAR CHOUDHARY, Under Secy.

Note:- The principal regulation No. 41/2018-Customs (N.T.), dated the 14th May, 2018 were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 451(E), dated the 14th May, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.